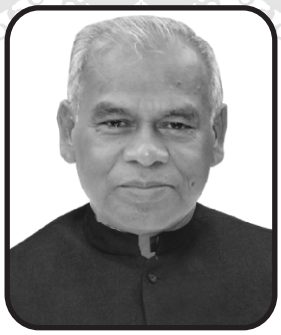

श्री जीतन राम मांझी
मुख्यमंत्री, बिहार

नीति आयोग की गवर्निंग कॉउंसिल
की प्रथम बैठक में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री

श्री जीतन राम मांझी
का
अभिभाषण

दिनांक- 08.02.2015

बिहार सरकार

नीति आयोग की गवर्निंग कॉउंसिल की प्रथम बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी का अभिभाषण

माननीय प्रधानमंत्री, राज्यों के आदरनीय मुख्यमंत्रीगण और गवर्निंग कॉउंसिल के सभी आदरनीय सदस्यगण।

सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें नीति आयोग के गवर्निंग कॉउसिंल की प्रथम बैठक में आमंत्रित किया और इस अवसर पर अपना सुझाव रखने का अवसर दिया। हम सभी राष्ट्र की प्रगति के लिए एक साझा दृष्टिकोण (Shared Vision) पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज बदलते हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में देश के विकास के लिए एक नई सोच एवं दृष्टि की आवश्यकता है। मैं इससे सहमत हूँ कि नीति आयोग के मार्फ़्त ऐसी व्यवस्था हो, जिससे देश में Cooperative Federalism को बढ़ावा मिले तथा हमें एक ऐसा मंच मिले, जहाँ पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें सतत रूप से संवाद कर सकें।

नीति आयोग के संबंध में एजेंडा नोट बैठक के 2 दिन पहले उपलब्ध कराया गया है। इसमें जो पाँच एजेन्डा बिन्दु एवं राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, नीतियों तथा क्षेत्रों की रणनीतियों की जो रूपरेखा प्रस्तावित की गई है, उन सभी पर इतनी अल्पअवधि में मंतव्य दिया जाना ना ही संभव है और ना ही उचित होगा। अतएव उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर कंडिकावार एवं योजनावार विस्तृत मंतव्य नीति आयोग को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी राज्यों से मंतव्य प्राप्त होने पर एवं नीति आयोग में सम्यक विचारोपरान्त ही राष्ट्रीय विकास एजेन्डा को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

आज यहाँ मैं राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में साझा दृष्टिकोण तैयार करने के बिन्दु पर अपने कुछ महत्वपूर्ण विचार रखना चाहूँगा। राष्ट्रीय एजेंडा राष्ट्र के समक्ष जो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, उनको केन्द्र बिन्दु में रखकर बनाऐ जाने की आवश्यकता है। भारत जिन जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है उसका स्पष्ट उल्लेख नीति आयोग के गठन से संबंधित संकल्प की कंडिका-8 में किया गया है। मैं संक्षेप में उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों पर राय व्यक्त करना चाहता हूँ:,

(क) गरीबी उन्मूलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हमें अकेले एक राष्ट्र के रूप में अपनी सफलता को मापना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को आवश्यक रूप से

प्रतिष्ठापूर्ण और आत्मसम्मान से जीवन जीने का अवसर दिया जाना चाहिए। (ख) आर्थिक विकास तब तक अधूरा है, जब तक वह प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लाभ का आनन्द उठाने के लिए अधिकार उपलब्ध नहीं कराता। अवसरों की सामान्यत: समावेशी एजेंडे के साथ हर व्यक्ति को उपलब्ध हो। पूर्व निर्धारित मार्ग पर हर व्यक्ति को परेरीत के बजाय हमें समाज के हर तत्व को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे कमजोर वर्गो को, राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने में देश और सरकार के विकल्पों को प्रभावित करने की योग्यता देनी है। (ग) ग्राम हमारे लोकाचार, संस्कृति और जीविका के सुदृढ़ आधार बने हुए हैं। इन्हें विकास प्रक्रिया में पूर्ण रूप से संस्थागत बनाये जाने की आवश्यकता है। (घ) भारत में 50 करोड़ से अधिक छोटे कारबार है जो रोजगार जुटाने के मुख्य श्रोत हैं। ये कारबार समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए अवसर जुटाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इस संबंध में नीति आयोग के गठन के संकल्प की कंडिका-9 भी विचारणीय है, जिसमें यह उल्लेखित है कि भारत में प्रभावी शासन निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित होगा।(क) जन अनुकूल कार्यक्रम, जो समाज के साथ-साथ व्यक्ति की भी आकांक्षा पूरी करता हो; (ख) जनता की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और उन्हें पूरा करने में अत्यधिक सक्रियता; (ग) नागरिकों को सम्मिलित करके उनकी भागीदारी; (घ) सभी पहलुओं में महिलाओं का सशक्तीकरण; (ड.) विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अर्थात् गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों, ग्रामीण क्षेत्र और किसान (गाँव और किसान) और युवा और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी समूहों का समावेशन; (च) अपने देश के युवाओं के लिए अवसर की समानता; और (छ) सरकार को प्रत्यक्ष तथा जिम्मेदार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता।हम इन सभी स्तंभों से पूर्ण रूप से सहमत हैं और हमारा मत है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के भावी कार्यक्रम एवं योजनायें भी इन्हीं स्तंभों पर आधारित हों। किन्तु इस बैठक के लिए राष्ट्रीय विकास का जो एजेन्डा परिचालित किया गया है उसमें उपर्युक्त सिद्धान्तों का समावेशन परिलक्षित नहीं हो रहा है। इस बैठक के लिए परिचालित एजेंडा के परिशिष्ट-4 में जिस चार्टर का विवरण दिया है, उसकी कंडिका-2 में वर्तमान फ्लैगशीप कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, जैसे MGNREGA, National Food Security

Act, Right to Education Act, RKVY, National Horticulture Mission, Sarva Shiksha Abhyian, National Health Mission, Mid-day Meal Programme, ICDS. इसके अलावे Rural Infrastructure यथा Housing, Roads, Electrification and Public Building यथा आंगनवाड़ी विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि को दी गयी प्राथमिकताओं का भी उल्लेख है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा हाल के महीनों में प्रारम्भ की गयी नई योजनाओं का विस्तृत उल्लेख परिशिष्ट-4 में किया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बेटी-बचाव बेटी-पढ़ाओ योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, नेशनल सोलर मिशन, Housing for all with 24/7 electricity, Drinking water and sanitation by 2022, स्मार्ट सिटीज मिशन, सागर माला, जन-धन योजना, डिजिटल इंडिया, डारेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर एवं पहल शामिल हैं। नई योजनाओं से मेरा कोई सैद्धान्तिक विवाद नहीं है। कुछ योजनाये तो ऐसी भी है, जो गरीबों तक लाभ पहुँचाने में सीधे सहायक होगीं। परन्तु विचार का मुख्य बिन्दु प्राथमिकता का है, और प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों के बंटवारा (allocation) का है। मैं यह भी नहीं कहता कि पुरानी सभी योजनाओं को उनके वर्तमान स्वरूप में जारी रखी जाय। अगर वे अपने लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पा रही है तो उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। परन्तु योजनाओं की सूची लंबी होते जाने से यह खतरा है कि गरीबों के लाभ की योजनाओं का allocation और कम हो जायेगा, जिनका allocation पिछले कुछ माहों में घट गया है। उदाहरण के लिए मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, खाद्य सुरक्षा जैसे गरीबों को और ग्रामीण क्षेत्रो के लाभ की योजनाओं में इस वर्ष बड़ी कटौती का सामना बिहार को करना पड़ रहा है।

एजेंडा संख्या-3 में यह वर्णित है कि राष्ट्रीय विकास की साझा दृष्टिकोण मानव संसाधन, आत्मसम्मान, समावेशी एवं टिकाउ विकास के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, जिससे मैं पूर्णत सहमत हूँ। अतः हमारा सुविचारित मंतव्य है कि सभी नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आदेयता (Entitlement) के मानक निर्धारित किये जाने चाहिए तथा उपयुक्त मानकों के राष्ट्रीय औसत से जिन राज्यों की जितनी अधिक दूरी है, उस दूरी को पाटने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना नीति आयोग का

पहला दायित्व होना चाहिए। इसमें नागरिकों एवं बसावट (Habitation) को योजना की इकाई के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। नीति आयोग के संकल्प में यह भी परिकल्पना की गयी है कि ग्रामीण स्तर से योजनायें तैयार कर क्रमशः उच्च स्तर पर समेकित करने के लिए तरीके बनाये जाय। यह तभी संभव होगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति एवं बसावट के स्तर पर आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के मापदंड निर्धारित करें। विकास के लिए बसावट आधारित दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है ताकि हाशिये पर बसे कमजोर वर्गो के लोग जो विकास की किरणों की पहुँच से वंचित रह गये है, उन्हें विकास के साथ जोड़ा जा सके। और उन्हें सभी मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण एक सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान कराया जा सके।

हमारी यह सोच है कि हमें राष्ट्र के संपूर्ण आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास हेतु मध्यम एवं दीर्घकालीन दृष्टिपथ तैयार करना चाहिए जो देश के पूरे प्रक्षेत्रीय विस्तार को आच्छादित करे। इस तरह के दृष्टिपथ में देश के सभी नागरिकों की आदेयता (Entitlement) का भी समावेश किया जाना चाहिए। उक्त दृष्टिपथ के अनुसार हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, उसकी प्राप्ति के लिए घरेलू एवं विदेशी दोनों स्तर की निजी क्षेत्र की क्षमता एवं संभावना का मूल्यांकन करना होगा और उसके आधार पर उन्हें सरकार द्वारा समर्थन देने अथवा विनियमित करने की आवश्यकता की पहचान करनी होगी। साथ ही साथ, उपर्युक्त दृष्टिपथ को प्राप्त करने के लिए देश के सभी नागरिकों की आदेयताओं को लगातार उपलब्ध कराने की क्षमता की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की आर्थिक, तकनीकी, भौतिक एवं सामाजिक मूलभूत संरचनाओं का आकलन किया जाना होगा। इन आकलनों के आधार पर आयोग द्वारा मार्गदर्शिका और अनुशंसाएँ गठित की जानी चाहिए जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित गवर्निंग कॉउसिंल के अनुमोदन के पश्चात विभिन्न मंत्रालयों के लिए स्कीमों के तैयार करने और आवंटन देने का आधार बनाना चाहिए। एक थिंक टैंक के रूप में इस संस्था को ऐसी दक्षता विकसित करनी होगी कि वह विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को पूरे विश्व में हो रहे नवाचारी (Innovative) और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं (Best Practices) से अवगत करा सके। नीति आयोग के द्वारा व्यापक दृष्टिपथ तैयार किया जाय, पर इसकी माइक्रोप्लानिंग राज्य सरकार को सौंपी जाय।

मैं उपर्युक्त बातें बिहार के अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि बिहार

कई कारणों से विकास के सभी सूचकांकों में न्यूनतम स्तर पर रहा है। इतना ही नहीं हाल के कुछ वर्षों को छोड़कर अखिल भारतीय औसत और बिहार की स्थिति के बीच की खाई लगातार बढ़ती गई है। विभिन्न वित्त आयोगों और योजना आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर जो आवंटन किए गए है उसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति आवंटन गरीब और कमजोर राज्यों में अपेक्षाकृत कम हुआ है और विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसा में क्रमशः इसमें गिरावट होती गई हैं। अगर हम केन्द्रीय योजनाओं के तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये गये निवेश के आंकड़ों को जोड़ दें तो और भी निराशाजनक तस्वीर उभरती है, जहां तक प्रति व्यक्ति निवेश का सवाल हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि योजनाओं का निरूपण और उनके साथ जुड़ी हुई शर्तें योजना के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोगी हों, यह जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए यदि विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शहरीकरण को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई जानी है, तो वैसे राज्यों और क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां शहरीकरण कम है, लेकिन इसके लिए नुरूम की जो स्कीम लागू हुई उसने उन्हीं राज्यों को अधिक समर्थन दिया जो पूर्व से ही ज्यादा शहरीकृत हैं। एक दूसरा उदाहरण भी लें। पिछले पंचवर्षीय योजनाकाल में बिहार सहित पूर्वी क्षेत्र को द्वितीय हरित क्रांति के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना गया, लेकिन कृषि के विकास के लिए जो आवंटन दिया गया वह इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कम था। ऐसी स्थिति में हम कैसे उम्मीद करें कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के नागरिकों को हम मूलभूत आदेयताएँ उपलब्ध करा सकेंगे और बिहार और राष्ट्रीय औसत के बीच जो खाई है उसको पाटने में सफल होंगे। मैं इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित महानुभावों के समक्ष यह तथ्य रखना चाहता हूँ कि यदि भारत को प्रगति करना है और उस प्रगति को निरंतरता (Sustainability) प्रदान करनी है तो बिहार एवं अन्य पिछड़े राज्यों को भी साथ लेकर चलना होगा; विकास की नीतियों को इस प्रकार गठित करना होगा और उसके लिए आवंटन इस प्रकार देना होगा जिससे यह खाई घटे। इस खाई को पाटने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने की भी जरूरत है। आज देश को यदि उन्नति के नये शीर्ष पर पहुँचाना है तो बिहार और बिहार जैसे अन्य पिछड़े राज्यों को एक राष्ट्रीय निर्धारित मापदंड के आधार पर बूस्टर के रूप में विशेष सहायता दिये जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन देते समय देश के सभी नागरिकों को

अपेक्षित वांछनीय आदेयताओं को उपलब्ध कराने की राष्ट्रीय प्राथमिकता को हमेशा ध्यान में रखना होगा। इस हेतु नीति आयोग को फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। गरीब और पिछड़े राज्यों में क्षमता की भारी कमी है। नीति आयोग को अपनी तकनीकी क्षमता इस प्रकार विकसित करनी होगी कि वैसे राज्यों में अतिरिक्त संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए क्षमता का संर्वधन करने में पूरा सहयोग दे सके।

योजना आयोग से नीति आयोग में प्रस्तावित परिवर्तन व्यवस्था (Transition Arrangements) के संबंध में कहना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में हमारी सारी विकास की रणनीतियाँ पंचवर्षीय योजना हेतु प्रतिबद्ध हैं। यदि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमारी योजना की रणनीति, हमारे विकास कार्यक्रमों एवं चल रही परियोजनाओं में भ्रम एवं रूकावट पैदा होगी। स्वीकृत एवं चल रही परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना अपेक्षित है। योजना अवधि के बीच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं संसाधनों की कमी श्रेष्यकर नहीं है। अतः हमारा मत है कि चालू पंचवर्षीय योजना की संयुक्त वार्षिक समीक्षा व्यवस्था वर्तमान में चालू रखना चाहिए।

जब मैं इस नये आयोग की तुलना पूर्व के योजना आयोग से करता हूँ तो मुझे एक महत्वपूर्ण बिन्दु का छूटना खटक रहा है जिसकी तरफ मैं सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पूर्व के योजना आयोग के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का आकलन कर पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएँ तैयार किया जाना था जो देश के संतुलित विकास के लिए 64 वर्षों से सफलतापूर्वक लागू होती रही है, परंतु जब मैं नवगठित नीति आयोग के द्वारा संकल्प को देखता हूँ, तो उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के लिए संसाधनों का उद्व्यय (allocation of capital) किसके द्वारा किया जायेगा? क्या इसका तात्पर्य मैं यह समझूँ कि अब से सभी राज्य अपने-अपने राज्य की प्राथमिकताओं को चिन्हित कर राज्य की योजनाओं को बनाने को पूर्णतः स्वतंत्र होंगे?यदि हाँ, तो यह एक बिन्दु विचारणीय है कि देश के बिहार जैसे कई पिछड़े राज्य विभिन्न भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचनों के क्षेत्र में पिछले 65 वर्षों में केन्द्रीय स्तर से आवश्यक निवेश न होने के कारण पिछड़ गये हैं। क्या उनके लिए विशेष संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था नये आयोग के द्वारा की जायेगी? समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि योजनाओं के लिए निधि का

आवंटन नीति आयोग द्वारा न करके वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जायेगा। यदि यह सही है तो यह एक Retrograde कदम होगा।

नीति आयोग के संकल्प से स्पष्ट होता है कि यह मुख्यत: एक थिन्क टैंक के रूप में काम करेगा। थिन्क टैंक के सुझाव किसी भी योजना के प्रारूपण हेतु आवश्यक है, परंतु मूल बिन्दु यह है कि उन योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन किस प्रकार मुहैया कराये जायें? इस परिप्रेक्ष्य में मैं गॉडगिल फार्मूला के निर्धारित सिद्धांत की कमी की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जिसमें वर्ष 1971 की जनगणना को ही देश में योजना संसाधन को बांटने का आधार बनाया गया है जो उचित नहीं है। वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के बीच केन्द्रीय करों से प्राप्त राशि के बँटवारे के लिए भी वर्ष 1971 की जनसंख्या को ही आधार पर माना गया है। वर्ष 1971 के बाद देश की आबादी में दो पीढ़ी (generation) जुड़ गयी है। क्या उनके अस्तित्व को नकारना गरीबी उन्मूलन और विकास की दृष्टि से उचित है?इसके बदले हमारी यह मांग है कि संसाधनों का विभाजन वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर किया जाय।

वर्ष 2000 में बिहार राज्य के विभाजन से पूर्ववर्ती बिहार राज्य में जो भी खनिज संसाधन थे और सरकारी और निजी क्षेत्र में जो संगठित उद्योग थे वे सभी झारखंड राज्य में चले गए हैं। राज्य के विभाजन के समय बिहार और झारखंड राज्यों के अपने राजस्व का अनुपात 52:48 था, जबकि 75 प्रतिशत आबादी का बोझ उत्तरवर्ती बिहार पर आया। इस असंतुलन को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि योजना आयोग में उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सीधे नियंत्रण में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाय जो झारखंड राज्य बनने के फलस्वरूप बिहार राज्य के विकास के मामले में आवश्यक कार्रवाई कर सके। इस प्रकोष्ठ को यह दायित्व दिया गया था कि बिहार की आवश्यकताओं का आकलन कर योजनाओं के माध्यम से आवश्यक सहयोग प्रदान करे, लेकिन इस वैधानिक प्रावधान के बावजूद कोई विशेष प्रतिफल नहीं निकला है। दुर्भाग्यवश, पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के तहत प्राप्त विशेष योजना उद्व्यय को भी विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में कम कर दिया गया हैं। नीति आयोग के द्वारा ऐसे वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बिहार में आधारभूत संरचनाओं में कमी को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम में बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के बीच पेंशन आदेयताओं के वहन किए जाने के निमित्त एक फार्मूला दिया गया था। उसका झारखंड सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में भारत सरकार के गृह मंत्रालय को अधिनियम के प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप करना पड़ा और 2010-11 तक की पेंशन आदेयताओं के बंटवारे के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 2584 करोड़ रूपयों को झारखंड से बिहार में हस्तांतरित करने का आदेश पारित किया गया। सितम्बर, 2012 में पारित आदेश का आज तक अनुपालन नहीं हुआ है, जबकि बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय को लगातार इस आशय का अनुरोध किया है कि वित्त मंत्रालय की ओर से झारखंड को दिये जाने अनुदान की राशि से कटौती कर इसे बिहार सरकार को हस्तांतरित किया जाए। 2010-11 के बाद के 3 वर्षों के लिए पेंशन आदेयताओं का समायोजन अभी भी लम्बित है। मेरा मानना है कि इस तरह के अंतरराज्यीय विषयों के निबटारे और लिये गये निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सशक्त संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है और मैं अनुरोध करता हूँ कि नीति आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।

इसी संदर्भ में मैं विशेष कर बिहार की स्थिति का वर्णन करते हुए बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु विचार रखने का अनुरोध करना चाहूँगा:,

संसाधनों की कमी के बावजूद बिहार सरकार ने समावेशी विकास के लक्ष्य को सामने रखकर सुशासन की व्यवस्था स्थापित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाये हैं। इसके फलस्वरूप पिछले वर्षों में बिहार के विकास की दर लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है और कुछ वर्षों में तो यह राज्यों में सबसे अधिक है। इसके बावजूद बिहार विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचकांकों के न्यूनतम स्तर पर हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति सार्वजनिक निवेश अत्यंत कम है। राज्य सरकार ऐसा मानती है कि राज्य और केन्द्र सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे जब उसके साथ-साथ निजी क्षेत्र के निवेश में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। अनुभव कहता है कि निजी क्षेत्र के निवेशों के एक ही क्षेत्र में केन्द्रित होने की प्रवृति होती है ताकि वे उनके उद्यम को समर्थन देने वाले अन्य उद्योगों तथा अन्य बड़ी सुविधाओं का लाभ ले सकें। निजी क्षेत्र की यह प्रवृत्ति सामान्य तौर पर विकसित क्षेत्रों और विकसित राज्यों को लाभ पहुँचाती हैं। पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को तभी आकर्षित किया जा सकता है जब हम उन क्षेत्रों में निवेश के लिए विशेष आकर्षण पैदा करें। यह वैसे राज्यों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनके पास खनिज

संसाधन या बन्दरगाह नहीं है एवं जो स्थल अवरूद्ध है। यह बिहार जैसे राज्य के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है,जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ जैसे भौगोलिक कारणों से प्रभावित होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाने से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश कम हो जाने से राज्य के पास अपनी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन की बढ़ोतरी होगी, अन्य बाह्य श्रोतों से संसाधन प्राप्ति की क्षमता भी बढ़ेगी तथा करों एवं करदेयता में छूट के कारण निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ेगें, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और इस प्रकार बढ़े हुए निजी निवेश के साथ अधिक सरकारी उद्व्यय के कारण राज्य विकास दर में निश्चित रूप से और भी वृद्धि होगी। इन्हीं कारणों से बिहार की जनता के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है, जिसके बिना पिछले 9 वर्षों के दौरान प्राप्त किये गये विकास की दर को आगे बढ़ाये रखना संभव नहीं हो पायेगा।

: जय हिन्द :